भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/वि.वि./2025-26/368

वि.वि.सं.एफआईएन. आरईसी.सं.287/03-10-123/2025-26 **28 नवंबर, 2025**

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - एकाउंट एग्रीगेटर) निदेश, 2025

विषय सूची

अध्याय-I – प्रारंभिक 2

अध्याय-II – निदेशक मंडल की भूमिका और पंजीकरण 7

अध्याय-III – गतिविधियों का दायरा 10

अध्याय-IV – कॉर्पोरेट अभिशासन 15

अध्याय-V – विविध अनुदेश 18

अध्याय-VI – निरसन और अन्य प्रावधान 19

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45JA (इसके पश्चात "अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - एकाउंट एग्रीगेटर) निदेश, 2025, एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय, जैसा कि इसमें परिभाषित किया गया है, करने वाली प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अनुपालन के लिए जारी करता है।

अध्याय-I – प्रारंभिक

क. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रयोज्यता

1. इन निदेशों को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - एकाउंट एग्रीगेटर) निदेश, 2025' के रूप में कहा जाएगा।

2. ये निदेश उस दिन से प्रवृत्त होंगे जिस दिन इन्हें रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

ख. प्रयोज्यता

3. ये निदेश गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - एकाउंट एग्रीगेटर (जिन्हें इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी-एए' और व्यक्तिगत रूप से 'एनबीएफसी-एए' कहा गया है) पर लागू होंगे।

ग. अन्य निदेशों की प्रयोज्यता

4. निम्नलिखित निदेशों में निहित प्रावधान, जहां तक वे इन निदेशों की विषय-वस्तु के विरोधाभासी नहीं हैं, एनबीएफसी-एए पर लागू होंगे:

   (1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025।

   (2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 8, 10 से 13, 17(1) और 18। यह ध्यान दिया जाए कि एसबीआर रूपरेखा के तहत एनबीएफसी-एए को एनबीएफसी-बीएल के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद, पैराग्राफ 12, 13, 17(1) और 18 के प्रावधान एनबीएफसी-एए पर लागू होंगे।

   (3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025, पैराग्राफ 13 से 15 और पैराग्राफ 20 में निहित प्रावधानों के अलावा।

   (4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025, पैराग्राफ 6(3) और 6(4) के अलावा।

   (5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025।

   (6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आउटसोर्सिंग में जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025।

   (7) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - स्वैच्छिक विलय) निदेश, 2025।

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - विविध) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6, 7, 25 और 26।

5. उपर्युक्त के बावजूद, इन निदेशों में निहित निदेश उपरोक्त पैराग्राफ 4 में उल्लिखित निदेशों में निहित अन्य संबंधित निदेशों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिस्थापन के रूप में।

घ. एनबीएफसी के लिए स्केल आधारित विनियमन के तहत विनियामक संरचना

6. एनबीएफसी-एए सदैव भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट विनियामक संरचना के बेस लेयर में बनी रहेगी।

ङ. कार्य क्षेत्र

7. इन निदेशों के प्रावधान भारत में एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के पंजीकरण और संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

च. परिभाषाएं

8. इन निदेशों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो,

(1) "एकाउंट एग्रीगेटर" का अर्थ है एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो अधिनियम की धारा 45-I के खंड (एफ) के उप-खंड (iii) के तहत अधिसूचित है, और जो शुल्क या अन्यथा के लिए, एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय करती है, जैसा इन निदेशों के पैराग्राफ 8(4) में परिभाषित किया गया है।

(2) 'बैंक' का अर्थ है –

क) बैंकिंग कंपनी; या

ख) संगत समरूप नया बैंक; या

ग) भारतीय स्टेट बैंक; या

घ) सहायक बैंक; या

ङ) ऐसे अन्य बैंक जिसे रिज़र्व बैंक अधिसूचना द्वारा इन निदेशों के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट करे; और

च) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) के तहत परिभाषित एक सहकारी बैंक है;

(3) 'बैंकिंग कंपनी' का अर्थ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित के अनुसार एक बैंकिंग कंपनी है;

(4) 'एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय' का अर्थ अनुबंध के तहत निम्न सेवा प्रदान करने का व्यवसाय है-

अपने ग्राहक से संबंधित ऐसी वित्तीय सूचना को पुनः प्राप्त करना या एकत्र करना, जैसा कि समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए

तथा

ऐसी सूचनाओं को समेकित करना, व्यवस्थित करना और ऐसी वित्तीय सूचना ग्राहक को या उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करना जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए,

बशर्ते, ग्राहक से संबंधित वित्तीय सूचना एकाउंट एग्रीगेटर की संपत्ति नहीं होगी, और किसी अन्य तरीके से उपयोग नहीं की जाएगी।

(5) 'कंपनी' का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप धारा (20) के तहत पंजीकृत कंपनी;

(6) इन निदेशों के उद्देश्य के लिए 'ग्राहक' का अर्थ है वह 'व्यक्ति', जिसने एकाउंट एग्रीगेटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एकाउंट एग्रीगेटर के साथ एक संविदात्मक व्यवस्था की है।

(7) 'डिपॉजिटरी' का अर्थ है एक कंपनी जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उप-धारा (1 ए) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है;

(8) 'डिपॉजिटरी प्रतिभागी' का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 12 की उप-धारा (1 ए) के तहत पंजीकृत कोई व्यक्ति;

(9) 'वित्तीय सूचना' का अर्थ है वित्तीय सूचना प्रदाताओं के साथ निम्नलिखित के संबंध में जानकारी:

(i) सावधि जमा खातों, बचत जमा खातों, आवर्ती जमा खातों और चालू जमा खातों सहित बैंक जमा,

(ii) एनबीएफसी के साथ जमा

(iii) संरचित निवेश उत्पाद (एसआईपी)

(iv) वाणिज्यिक पत्र (सीपी)

(v) जमा का प्रमाण पत्र (सीडी)

(vi) सरकारी प्रतिभूति (व्यापार योग्य)

(vii) इक्विटी शेयर

(viii) बांड

(ix) डिबेंचर

(x) म्यूचुअल फंड यूनिट्स

(xi) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स

(xii) भारतीय डिपॉजिटरी रसीदें

(xiii) सीआईएस (सामूहिक निवेश योजनाएं) इकाइयाँ

(xiv) वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) इकाइयाँ

(xv) बीमा पॉलिसी

(xvi) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत शेष

(xvii) आधारभूत संरचना निवेश न्यास की इकाइयाँ

(xviii) रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों की इकाइयाँ

(xix) माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरणी जैसे फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-3बी

(xx) समय-समय पर इन निदेशों के प्रयोजनों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की गई कोई अन्य जानकारी;

(10) 'वित्तीय क्षेत्र विनियामक' - इन निदेशों के उद्देश्य के लिए इसका आशय भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से होगा;

(11) 'वित्तीय सूचना प्रदाता' का आशय बैंक, बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बीमा कंपनी, बीमा रिपॉजिटरी, केंद्रीय अभिलेखपालन एजेंसी, माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड और ऐसी अन्य इकाई जो रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के लिए समय-समय पर चिन्हित की जाए, से है;

नोट: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत अपने खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खातों में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर वित्तीय जानकारी प्रदान करेगा।

(12) 'वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता' का अर्थ किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा पंजीकृत और विनियमित इकाई है;

(13) 'बीमा रिपॉजिटरी' का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक कंपनी है और जिसे बीमा कंपनियों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसियों के डेटा को बनाए रखने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है।

(14) 'लिवरेज अनुपात' का अर्थ है समूह की संस्थाओं के स्वामित्व वाले उधारों / ऋणों को छोड़कर बाहरी देयताओं का अनुपात।

(15) 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' का अर्थ है कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी और जिसे अधिनियम की धारा 45IA के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है;

(16) 'व्यक्ति' का अर्थ है:

(i) एक व्यक्ति,

(ii) एक हिंदू अविभाजित परिवार,

(iii) एक कंपनी,

(iv) एक फर्म,

(v) व्यक्तियों का संगठन या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, और

(vi) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती उप-खंडों में से किसी में शामिल न हो।

9. इन निदेशों में प्रयुक्त शब्दों या भावों जो यहाँ परिभाषित नहीं है लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम के तहत उन्हें प्रदान किया गया है। अधिनियम में परिभाषित कोई भी अन्य शब्द या भाव का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में उन्हें प्रदान किया गया है।

अध्याय-II – निदेशक मंडल की भूमिका और पंजीकरण

क. निदेशक मंडल की भूमिका

10. एनबीएफसी-एए को सुदृढ़ प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां लागू करनी होंगी और आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित करने होंगे। निदेशक मंडल या उसकी समिति(यों) द्वारा अनुमोदित की जाने वाली ऐसी नीतियों की एक उदाहरण सूची नीचे दी गई है। इन नीतियों में संबोधित किए जाने वाले विशिष्ट पहलू इन निदेशों के संबंधित पैराग्राफ में विस्तृत हैं.

(1) ग्राहक शिकायत / शिकायतों के निपटारे / निपटान के लिए नीति।

(2) सेवाओं का मूल्य निर्धारण।

(3) नियुक्ति के समय और निरंतर आधार पर निदेशकों / प्रबंध निदेशक / सीईओ के उचित और उपयुक्त मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए नीति।

ख. पंजीकरण

11. एनबीएफसी-एए के लिए पंजीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित होंगी:

(1) एक कंपनी के अलावा कोई भी इकाई एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय नहीं करेगी।

(2) कोई भी कंपनी रिज़र्व बैंक से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एकाउंट एग्रीगेटर के व्यवसाय को शुरू नहीं करेगी।

बशर्ते, अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों द्वारा विनियमित की जा रही और उस विशेष क्षेत्र के ग्राहकों से संबंधित वित्तीय जानकारी एकत्रित करने वाली इकाइयों को उपरोक्त पंजीकरण आवश्यकता से बाहर रखा जाएगा।

(3) एनबीएफसी-एए के रूप में रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकरण की इच्छा रखने वाली प्रत्येक कंपनी के पास निवल स्वाधिकृत निधि दो करोड़ रुपये, या ऐसी उच्च राशि जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए से कम नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि, पंजीकरण की मांग के समय उन कंपनियों के पास न्यूनतम दो करोड़ रुपये का निवल स्वाधिकृत निधि नहीं है, जो उनके द्वारा दिए गए पंजीकरण के प्रमाणन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी की वैधता की अवधि के भीतर निवल स्वाधिकृत निधि मानदंडों को पूरा करेगा।

ग. पंजीकरण की प्रक्रिया

12. एनबीएफसी-एए के रूप में पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(1) एनबीएफसी-एए के रूप में पंजीकरण की इच्छा रखने वाली प्रत्येक कंपनी, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रवाह (PRAVAAH) पोर्टल में इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप में बैंक के मुंबई के विनियमन विभाग में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगी।

(2) पंजीकरण आवेदन पर विचार के लिए रिज़र्व बैंक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह इस बात से संतुष्ट हो ले कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है: -

(i) ग्राहकों को इस तरह की सेवाएं देने के लिए कंपनी के पास आवश्यक संसाधन और साधन है।

(ii) कंपनी के पास एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त पूंजी विन्यास है।

(iii) कंपनी के प्रमोटर्स योग्य और उचित हैं।

(iv) कंपनी के प्रबंधन या प्रस्तावित प्रबंधन का सामान्य चरित्र सार्वजनिक हित के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है।

(v) कंपनी के पास एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की योजना है।

(vi) कंपनी का लिवरेज अनुपात सात से अधिक का नहीं होना चाहिए।

(vii) भारत में कारोबार शुरू करने या जारी रखने के लिए एकाउंट एग्रीगेटर को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने से सार्वजनिक हित पूरा होना चाहिए।

(viii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई कोई अन्य शर्त, जिसे रिज़र्व बैंक की राय में यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में व्यवसाय शुरू करना या जारी रखना जनता के हितों के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं होगा, पूरा करना आवश्यक होगा।

(3) रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि उप-पैरा (2) के तहत निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया गया है, ऐसी शर्तों जिसे यह लागू करना आवश्यक समझे के अधीन एनबीएफसी-एए के रूप में पंजीकृत करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करेगा।

(4) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई सैद्धांतिक मंजूरी की वैधता इस तरह के सैधांतिक मंजूरी की तारीख से बारह महीने होगी।

(5) बारह महीने की अवधि के भीतर, कंपनी प्रौद्योगिकी प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करेगी, परिचालन के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक सभी अन्य कानूनी दस्तावेज़ों को तैयार करेगी और रिज़र्व बैंक को सैद्धांतिक स्वीकृति के नियमों के अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट करेगी। रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि कंपनी परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है, पंजीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन में, ऐसी शर्तों के अधीन है जिसे वह लागू करना उपयुक्त समझे, इसे एक एनबीएफसी-एए के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(6) रिज़र्व बैंक एनबीएफसी-एए को दिए गए पंजीकरण के प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकता है यदि, ऐसी कंपनी–

(i) भारत में एकाउंट एग्रीगेटर के व्यवसाय का संचालन बंद कर देती है; या

(ii) किसी भी शर्त, जिसके तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है के अनुपालन में विफल रहती है; या

(iii) यह रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आता है कि एनबीएफसी-एए पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखने के योग्य नहीं है; या

(iv) किसी भी समय उप-पैरा (2) और (5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है; या

(v) निम्नलिखित में विफल रहता है –

(ए) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निदेश का अनुपालन; या

(बी) रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी अधिनियम या किसी निदेश या आदेश की आवश्यकता के अनुसार खातों को बनाए रखना, प्रकाशित करना और उसके अनुसार अपनी वित्तीय स्थिति का प्रकटन करना; या

(सी) रिज़र्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर अपनी खाता बही या अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत करें या प्रदान करें।

घ. एफएटीएफ गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों से निवेश

13. एनबीएफसी-एए के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र चाहने वाली कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 47 और 48 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेना होगा।

अध्याय-III – गतिविधियों का दायरा

क. एनबीएफसी-एए के कर्तव्य और जिम्मेदारियां

14. एनबीएफसी-एए के कर्तव्य और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

(1) एनबीएफसी-एए ग्राहक की स्पष्ट सहमति के आधार पर ग्राहक को सेवाएं प्रदान करेगा।

(2) एनबीएफसी-एए यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सेवाएं प्रदान करना, एनबीएफसी-एए, ग्राहक और वित्तीय सूचना प्रदाताओं के बीच उपयुक्त समझौतों / प्राधिकरणों द्वारा समर्थित है।

(3) एनबीएफसी-एए ग्राहकों द्वारा लेनदेन का समर्थन नहीं करेगा।

(4) एनबीएफसी-एए उचित ग्राहक पहचान के लिए उपयुक्त तंत्र सुनिश्चित करेगा।

(5) पैराग्राफ 8(4) में उल्लेख किए अनुसार एनबीएफसी-एए, केवल उस ग्राहक के साथ जिससे वह संबंधित है या किसी अन्य वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता, जिसे ग्राहक द्वारा सहमति की शर्तों के अनुसार अधिकृत किया गया है, से सूचना साझा करेगा।

(6) एनबीएफसी-एए एकाउंट एग्रीगेटर के व्यवसाय के अलावा कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा। हालांकि, ट्रेडिंग को छोड़ अन्य प्रपत्रों में एनबीएफसी-एए द्वारा निवेश योग्य अधिशेष के अभियोजन की अनुमति होगी।

(7) एनबीएफसी-एए वित्तीय सूचना प्रदाताओं से प्राप्त की गई ग्राहक की कोई भी वित्तीय जानकारी अपने पास नहीं रखेगा।

(8) एनबीएफसी-एए एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय करने के लिए तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता की सेवाओं का उपयोग नहीं करेगा।

(9) विभिन्न वित्तीय सूचना प्रदाताओं के साथ ग्राहक के खातों से संबंधित उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण क्रेडेंशियल्स तक एनबीएफसी-एए द्वारा पहुंच नहीं बनाई जाएगी।

(10) एनबीएफसी-एए के पास एक नागरिक चार्टर होगा जो स्पष्ट रूप से ग्राहक के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। एनबीएफसी-एए, ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना, ग्राहक से या उसकी ओर से प्राप्त किसी भी जानकारी को किसी अन्य के साथ साझा नहीं करेगा।

(11) एनबीएफसी-एए और वित्तीय सूचना प्रदाता की बही से निकाले गए वित्तीय विवरण की स्थिति में कोई अंतर होने की स्थिति में, वित्तीय सूचना प्रदाता के रिकॉर्ड में परिलक्षित स्थिति को सही माना जाएगा।

ख. सहमति निर्माणः

15. ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना एनबीएफसी-एए द्वारा ग्राहक की कोई वित्तीय जानकारी प्राप्त, साझा या स्थानांतरित नहीं की जाएगी।

16. एनबीएफसी-एए इन निदेशों के अनुसार ग्राहक की सहमति प्राप्त करने, जमा करने और प्रबंधित करने का कार्य करेगा।

17. एनबीएफसी-एए द्वारा प्राप्त ग्राहक की सहमति एक मानकीकृत सहमति होगी, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

(1) ग्राहक की पहचान और वैकल्पिक संपर्क जानकारी;

(2) अनुरोधित वित्तीय जानकारी की प्रकृति;

(3) ऐसी जानकारी एकत्र करने का उद्देश्य;

(4) सूचना प्राप्त करने वालों की पहचान, यदि कोई हो;

(5) URL या अन्य पता जिस पर सूचना भेजने के लिए हर बार सहमति का उपयोग करने के लिए नोटिफिकेशन को भेजने की आवश्यकता होती है

(6) एनबीएफसी-एए की सहमति निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, पहचान और हस्ताक्षर / डिजिटल हस्ताक्षर; तथा

(7) रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई कोई अन्य विशेषता।

18. इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सहमति प्राप्त की जा सकती है।

19. सहमति प्राप्त करने के समय, एनबीएफसी-एए सहमति पत्र में शामिल किए जाने वाले सभी आवश्यक विशेषताओं जैसा की पैराग्राफ 17 में उल्लेख है एवं शिकायत के गैर निवारण की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी के पास शिकायत करने के ग्राहक के अधिकार से ग्राहकों को सूचित करेगा।

20. एनबीएफसी-एए अपने ग्राहकों को सूचना प्राप्त करने की सहमति जो सहमति पत्र द्वारा अभिगम्य है प्रदान करने के लिए एक कार्यक्षमता प्रदान करेगा, जो कि एक सहमति पत्र द्वारा सुलभ है को रद्द करने की कार्यात्मकता भी प्रदान करे, जिसमें ऐसी जानकारी की कुछ भाग प्राप्त करने की सहमति को रद्द करने की क्षमता भी शामिल हो। निरस्तीकरण के बाद, वित्तीय सूचना प्रदाता के साथ एक नई सहमति पत्र साझा की जाएगी।

21. एक इलेक्ट्रॉनिक सहमति पत्र लॉग करने, ऑडिट और सत्यापित करने में सक्षम होगा।

ग. वित्तीय सूचना प्रदाताओं द्वारा वैध सहमति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर वित्तीय जानकारी साझा करना

22. वित्तीय सूचना प्रदाता, एनबीएफसी-एए द्वारा एक वैध सहमति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर के पैराग्राफ 15 से 21 के अनुसार किसी ग्राहक की वित्तीय जानकारी साझा करेंगे।

23. सहमति पत्र प्रस्तुत होने पर, वित्तीय सूचना प्रदाता उचित माध्यम से सत्यापित करेगा:

(1) सहमति की वैधता

(2) निर्दिष्ट तिथियां और उपयोग; तथा

(3) एनबीएफसी-एए की विश्वसनीयता।

24. उचित सत्यापन के बाद, वित्तीय सूचना प्रदाता वित्तीय सूचना पर डिजीटल रूप से हस्ताक्षर करेंगे और सहमति पत्र में निहित शर्तों के अनुसार इसे एनबीएफसी-एए को सुरक्षित रूप से संचारित करेंगे।

25. वित्तीय सूचना प्रदाता की सभी प्रतिक्रियाएं वास्तविक समय में होंगी।

26. इन डेटा प्रवाह को सक्षम करने के लिए, वित्तीय सूचना प्रदाता निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(1) इंटरफेस लागू करना, जो एक एनबीएफसी-एए को सहमति पत्र को प्रस्तुत करने और एक दूसरे को प्रमाणित करने की अनुमति देगा, और एनबीएफसी-एए को वित्तीय जानकारी का सुरक्षित प्रवाह सक्षम करेगा;

(2) सहमति पत्र में निहित डिजिटल हस्ताक्षर, यदि कोई हो, सहित सहमति को सत्यापित करने का साधन अपनाना;

(3) उनके द्वारा ग्राहकों के बारे में साझा की गई वित्तीय सूचना को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करने के साधन को लागू करना;

(4) सूचना साझा करने के समस्त अनुरोधों एवं ऐसे अनुरोध के अनुपालन में उनके द्वारा की गई कार्रवाई का एक लॉग बुक तैयार करना, तथा इसे एनबीएफसी-एए को प्रस्तुत करना।

घ. एनबीएफसी-एए और वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता द्वारा जानकारी का उपयोग

27. जहां वित्तीय सूचना प्रदाता द्वारा एनबीएफसी-एए को ग्राहक की स्पष्ट सहमति के साथ वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता को हस्तांतरित करने के लिए वित्तीय सूचना प्रदान की गई है, वहां एनबीएफसी-एए करेंगे:

(1) वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता की पहचान को सत्यापित करना; और, यदि सत्यापित हो,

(2) सहमति पत्र के शर्तों के अनुसार इच्छुक प्राप्तकर्ताओं को ग्राहक की सूचना सुरक्षित रूप से हस्तांतरित करना।

28. जहां वित्तीय सूचना प्रदाता द्वारा ग्राहक को या किसी वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता को हस्तांतरित करने के लिए किसी एनबीएफसी-एए को वित्तीय सूचना प्रदान की गई है, सहमति पत्र में निर्दिष्ट शर्तों को छोड़, इसका उपयोग या खुलासा एनबीएफसी-एए या वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता द्वारा नहीं किया जाएगा।

ङ. वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर का पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होना

29. एकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र के कुशल और इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक की विनियमित इकाइयां जो वित्तीय जानकारी उपयोगकर्ता के रूप में एकाउंट एग्रीगेटर पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो रही हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से वित्तीय जानकारी प्रदाता के रूप में भी शामिल होना होगा, यदि वे निर्दिष्ट वित्तीय जानकारी रखती हैं और वित्तीय जानकारी प्रदाता की परिभाषा के तहत आती हैं।

च. डेटा सुरक्षा

30. एनबीएफसी-एए को निम्नलिखित का पालन करना होगा:

(1) एकाउंट एग्रीगेटर का व्यवसाय पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संचालित होगा। एनबीएफसी-एए आवश्यक आईटी ढांचे और इंटरफेस को अपनाए ताकि वित्तीय सूचना प्रदाताओं से अपने स्वयं के सिस्टम में और बाद में वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित डेटा प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

(2) एनबीएफसी-एए ग्राहक क्रेडेंशियल (जैसे पासवर्ड, पिन, निजी कुंजी) जिसका उपयोग ग्राहक को वित्तीय सूचना प्रदाताओं से सत्यापित कराने के लिए किया जा सकता है, का अनुरोध या भंडारण नहीं करेगा। एनबीएफससी-एए द्वारा ग्राहक की जानकारी तक पहुंच केवल सहमति-आधारित प्राधिकरण पर आधारित होगी।

(3) किसी अन्य वित्तीय सूचना या वित्तीय सूचना प्रदाता को कवर करने के लिए, जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा भविष्य में निर्दिष्ट किया जाए, प्रौद्योगिकी को भी स्केलेबल होना चाहिए।

(4) रिकार्ड एवं डाटा तक अनधिकृत पहुंच, परिवर्तन, विनाश, प्रकटीकरण या प्रसार से इसकी रक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईटी सिस्टम में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होना चाहिए।

(5) आपदा जोखिम प्रबंधन और व्यावसायिक निरंतरता के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए।

(6) आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा स्थापित की जाएगी और सीआईएसए प्रमाणित बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा दो साल में कम से कम एक बार लेखापरीक्षा की जाएगी। बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर इस रिपोर्ट को रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किया जाए जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एकाउंट एग्रीगेटर का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

छ. परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन आघात सहनीयता पर मार्गदर्शन नोट

31. एनबीएफसी-एए समय-समय पर संशोधित 'परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन सुदृढ़ता पर मार्गदर्शन नोट' का उपयोग कर सकता है।

ज. एकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के सभी प्रतिभागियों के लिए तकनीकी विशिष्टता

32. एनबीएफसी-एए विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के तहत विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के पास मौजूद ग्राहक की वित्तीय सूचना को समेकित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, जिनका विस्तार विभिन्न आईटी प्रणालियों और इंटरफेस को अपनाने वाले वित्तीय क्षेत्र के नियामकों में है के बीच डाटा का आवागमन सुरक्षित है, विधिवत प्राधिकृत है, सुचारू एवं निर्बाध है, एए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों के लिए मुख्य तकनीकी विशिष्टताओं का एक सेट रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (ReBIT) द्वारा तैयार किया गया है, और अपनी वेबसाइट (www.rebit.org.in) पर इसे प्रकाशित किया गया है।

33. रिज़र्व बैंक के सभी विनियमित निकाय, जो एनबीएफसी-एए या वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) या वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में कार्य कर रहे हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे ReBIT द्वारा प्रकाशित तकनीकी विशिष्टताओं को समय-समय पर अपडेट करते रहें।

34. ऊपर दिए गए पैराग्राफ 32 में निर्दिष्ट दस्तावेज़ केवल एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए विनिर्देश प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करना एनबीएफसी-एए की ज़िम्मेदारी होगी कि इसकी आईटी प्रणालियों में एनबीएफसी-एए दिशा-निदेशों, जो समय-समय पर अद्यतन की जाती है के अनुरूप अपने कार्यों को सख्ती से पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ हैं।

झ. ग्राहक के अधिकार

35. एक एनबीएफसी-एए ग्राहक को उसके द्वारा प्रदान की गई सहमति और वित्तीय सूचना, उपयोगकर्ताओं, जिनके साथ जानकारी साझा की गई है के रिकॉर्ड तक पहुंचने में सक्षम करेगा।

36. एनबीएफसी-एए ग्राहक द्वारा स्पष्टयता अनुरोधित एकाउंट एग्रीगेटर के व्यवसाय का निष्पादन करने के अलावा किसी भी ग्राहक की जानकारी का उपयोग या एक्सेस नहीं करेगा।

ञ. ग्राहक शिकायत

37. ग्राहक की शिकायत / शिकायतों के निपटारे / निपटान के लिए एनबीएफसी-एए के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होगी। इसके पास ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक समर्पित व्यवस्था होगी।

38. एनबीएफसी-एए द्वारा ग्राहक शिकायतों का ऐसे समय के भीतर और ऐसे तरीके से जैसा कि उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में प्रदान किया गया है समाधान किया जाएगा। पर, किसी भी मामले में शिकायत की प्राप्ति से एक महीने की अवधि से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

39. परिचालन स्तर पर, एनबीएफसी-एए ग्राहकों के लाभ के लिए, वेबसाइट पर और व्यवसाय के स्थान / ओ पर निम्नलिखित जानकारी को प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे:

    (1) शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन / मोबाइल नंबर, साथ ही ईमेल पता) जिससे कंपनी के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए जनता संपर्क कर सकती है।

    (2) यदि एक महीने की अवधि के भीतर शिकायत / विवाद का निवारण नहीं किया जाता है, तो ग्राहक रिज़र्व बैंक से अपील कर सकता है।

ट. रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

40. रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत कवर किए गए एनबीएफसी को उक्त योजना के तहत प्रदान किए गए निदेशों का पालन करना होगा।

ठ. मूल्य निर्धारण

41. एनबीएफसी-एए को सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति की आवश्यकता होगी। सेवाओं का मूल्य निर्धारण एकाउंट एग्रीगेटर द्वारा अपनाए गए आंतरिक दिशानिर्देशों, जिनका पारदर्शी और आम जनता के लिए उपलब्ध होना आवश्यक है के अनुरूप होगा।

अध्याय-IV – कॉर्पोरेट अभिशासन

42. एक एनबीएफसी-एए के पास अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र होना चाहिए। आईटी प्रणालियों की समग्रता को हर समय बनाए रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, रिकार्ड न खोए, नष्ट न हो या इससे छेड़छाड़ न हो, सभी आवश्यक सावधानी बरती जाए।

क. निदेशक मंडल का अनुभव

43. एनबीएफसी-एए को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 8 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

ख. लेखा-परीक्षा(ऑडिट) समिति

44. एनबीएफसी-एए को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 17(1) के प्रावधानों का पालन करना होगा।

ग. नामांकन समिति

45. एनबीएफसी-एए प्रस्तावित / मौजूदा निदेशकों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नामांकन समिति बनाए जिसमें उसके अपने निदेशक मंडल के कम से कम तीन सदस्य शामिल हों। नामांकन समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 18 में निर्धारित अनुसार किया जाएगा।

घ. जोखिम प्रबंधन समिति

46. एनबीएफसी-एए एक अच्छी तरह से प्रलेखित जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित करेगा जिसमें शामिल होगा

(1) एक मजबूत प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन ढांचा;

(2) सिस्टम सुरक्षा, विश्वसनीयता, लचीलापन, और पुनर्प्राप्ति को मजबूत करना; तथा

(3) ग्राहक डेटा और सिस्टम तक पहुंच को रोकने के लिए मजबूत प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना।

47. एकीकृत जोखिम का प्रबंधन करने के लिए तथा समग्र जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए, एनबीएफसी-एए बोर्ड या कार्यकारी स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति बनाएगा, जिसमें उसके निदेशक मंडल के कम से कम तीन सदस्य होंगे। जोखिम प्रबंधन समिति को:

(1) कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा सेंटर, संचालन और बैकअप सुविधाओं के लिए नियंत्रण और सुरक्षा उपायों में निवेश के संबंध में प्रतिष्ठा, ग्राहक विश्वास, परिणामी प्रभाव और कानूनी निहितार्थ जैसे कारकों पर उचित ध्यान दें।

(2) प्रौद्योगिकी जोखिमों की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि संगठन का आईटी कार्य अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और उद्देश्यों का समर्थन करने में सक्षम है।

ङ. उपयुक्त और उचित मानदंड

48. एनबीएफसी-एए की जिम्मेदारी होगी -

(1) यह सुनिश्चित करना कि निदेशकों / प्रबंध निदेशक / सीईओ के नियुक्ति के समय और निरंतरता के आधार पर उपयुक्त और उचित मानदंडसुनिश्चित करने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ एक नीति तैयार करें। उपयुक्त और उचित मानदंडों पर नीति भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 12 और 13 में निर्धारित दिशानिदेशों की तर्ज पर होगी।

(2) रिज़र्व बैंक को निदेशक / प्रबंध निदेशक / सीईओ में परिवर्तन पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना, जो वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो कि निदेशकों के चयन में उपयुक्त और उचित मानदंडों का पालन किया गया है। यह विवरण वर्ष समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।

च. प्रकटीकरण आवश्यकताएं

49. एनबीएफसी-एए को पैराग्राफ 13 से 15 और पैराग्राफ 20 में निहित प्रावधानों के सिवाय भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – वित्तीय विवरण: प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 में निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करना होगा । ये प्रकटीकरण अन्य कानूनों, विनियमों, या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के तहत निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं, न कि उनके स्थान पर। न्यूनतम आवश्यकताओं की तुलना में अधिक व्यापक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है, विशेष रूप से यदि ऐसे प्रकटीकरण वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में महत्वपूर्ण सहायता करते हैं।

छ. एनबीएफसी-एए के नियंत्रण के अधिग्रहण या हस्तांतरण के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता -

50. एनबीएफसी-एए के लिए निम्नलिखित के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी-

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6(1) और 6(2) में निर्धारित किसी भी अभिग्रहण या नियंत्रण का अधिग्रहण या शेयरधारण में कोई भी परिवर्तन।

(2) शेयरधारिता में कोई भी बदलाव जो कि प्राप्तिकर्ता को निदेशक नामित करने का अधिकार देगा।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 10 में निर्धारित निदेशकों और / या प्रबंधन में कोई भी परिवर्तन।

छ.1 पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन

51. उपरोक्त पैराग्राफ 50(1) और 50(2) में आवश्यकता के अनुसार पूर्व अनुमोदन के संबंध में, एनबीएफसी-एए को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 7 में निर्धारित अनुदेशों का पालन करना होगा। उपरोक्त पैराग्राफ 50(3) में आवश्यकता के अनुसार पूर्व अनुमोदन के संबंध में, एनबीएफसी-एए को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – अभिशासन) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 11 में निर्धारित अनुदेशों का संदर्भ लेना होगा।

छ.2 नियंत्रण / प्रबंधन में परिवर्तन के बारे में सार्वजनिक सूचना

52. एनबीएफसी-एए को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 8 से 10 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

छ.3 पता, निदेशकों, लेखा परीक्षकों, आदि में परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

53. प्रत्येक एनबीएफसी-एए को पते, निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि में परिवर्तन की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – विविध) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 6 और 7 में निर्धारित अनुसार संप्रेषित करनी होगी।

छ.4 एफएटीएफ गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकारों से निवेश

54. एनबीएफसी-एए को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – शेयरधारिता अथवा नियंत्रण का अधिग्रहण) निदेश, 2025 के पैराग्राफ 11 से 13 में निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

अध्याय-V – विविध अनुदेश

क. लाभांश की घोषणा

55. एनबीएफसी-एए को भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

ख. एनबीएफसी-एए द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम और आचार संहिता का प्रबंधन।

56. एनबीएफसी-एए अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था का स्व-मूल्यांकन करेगा और इन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – आउटसोर्सिंग में जोखिमों का प्रबंधन) निदेश, 2025 में निर्धारित अनुदेशों के अनुरूप लाएगा।

ग. रिटर्न

57. रिज़र्व बैंक, समय-समय पर, एनबीएफसी-एए द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न / रिटर्नों को निर्धारित करेगा, जिसे यह उचित समझे।

घ. पर्यवेक्षण

58. रिज़र्व बैंक किसी भी समय पर, अपने एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी एनबीएफसी-एए का किसी भी अंतराल, जैसा यह उचित समझे पर निरीक्षण करवा सकता है।

ङ. छूट

59. रिज़र्व बैंक, यदि किसी कठिनाई या किसी अन्य कारण से बचने के लिए आवश्यक समझता है या उसके पास उचित और पर्याप्त कारण हैं तो वह किसी भी कंपनी या कंपनियों के समूह या सभी कंपनियोंको इस दिशानिदेश के सभी या किन्ही प्रावधानों के अनुपालन के लिए समय का विस्तार दे सकता है या आम तौर पर या किसी भी निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसे शर्तों, जिसे रिज़र्व बैंक लागू करे के अधीन अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है।

60. रिज़र्व बैंक उपरोक्त निदेशों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण दे सकता है और इस तरह के स्पष्टीकरण को इन निदेशों के हिस्से के रूप में माना जाएगा। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

अध्याय-VI – निरसन और अन्य प्रावधान

क. निरसन और व्यावृत्ति

61. इन निदेशों के जारी होने के साथ, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – एकाउंट एग्रीगेटर से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र विवि. आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से संप्रेषित किया गया था। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व रद्द किए गए निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

62. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निदेश, अनुदेशों या दिशा-निर्देश के तहत की गई या किए जाने का दावा की गई या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई इसके प्रावधानों द्वारा संचालित होती रहेगी। इन रद्द किए गए सूचियों के तहत प्रदान किए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा संचालित माना जाएगा। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

(1) इसके तहत अर्जित, उपचित या हुए किसी भी अधिकार, दायित्व या देयता को;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में हुए किसी भी जुर्माने, जब्ती या दंड को;

(3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माने, जब्ती या दंड के संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को; और किसी भी ऐसी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को आरंभ, जारी या लागू किया जा सकता है और किसी भी ऐसे जुर्माने, जब्ती या दंड को इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो कि उन निदेशों, अनुदेशों या निदेशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

ख. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं

63. इन निदेशों के प्रावधान उस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

ग. व्याख्याएं

64. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभाव देने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के आवेदन या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक, यदि वह आवश्यक समझता है, तो यहां शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक